



**समाहरणालय, मुंगेर**  
(जिला प्रोग्राम कार्यालय)  
(आई०सी०डी०एस०)



**सेविका / सहायिका चयन के संबंध में**

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 990 दिनांक 05.04.2016 द्वारा निर्गत सेविका/सहायिका संबंधी मार्गदर्शिका 2016 के आलोक में मुंगेर जिला के समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 276 सेविका 251 सहायिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु उस पोषक क्षेत्र (संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र) के स्थायी निवासी महिला (बहू) से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15.12.2017 तक आमंत्रित किये जाते हैं। दिनांक 16.12.2017 से दिनांक 19.12.2017 तक उक्त प्राप्त आवेदनो के संबंध में दावा/आपत्ति संबंधित परियोजना कार्यालय में दिए जा सकते हैं। चयन हेतु आम सभा के आयोजन की तिथि से संबंधित जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय, से प्राप्त किया जा सकता है। आम सभा का आयोजन संबंधित केन्द्र के वार्ड अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर किया जायेगा।

आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के अन्दर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यालय कार्य अवधि में जमा किया जा सकता है। चयन संबंधी विशेष जानकारी, मार्गदर्शिका/अर्हता एवं रिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों की सूची संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय, मुंगेर के सूचना पट्ट तथा मुंगेर जिला के वेबसाइट [www.munger.bih.nic.in](http://www.munger.bih.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

आँगनबाड़ी सेविका /सहायिका की रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	रिक्त पद का प्रकार	
		सेविका की रिक्ति	सहायिका की रिक्ति
1	2	3	4
1	धरहरा	सेविका - 27	सहायिका - 27
2	संग्रामपुर	सेविका - 40	सहायिका - 37
3	मुंगेर ग्रामीण	सेविका - 20	सहायिका - 19
4	जमालपुर	सेविका - 33	सहायिका - 35
5	खडगपुर	सेविका - 03	सहायिका - 01
6	बरियारपुर	सेविका - 44	सहायिका - 42
7	टेटिया बम्बर	सेविका - 07	सहायिका - 06
8	तारापुर	सेविका - 65	सहायिका - 45
9	असारगंज	सेविका - 37	सहायिका - 39
कुल	-	276	251

**आँगनवाड़ी सेविका /सहायिका पद पर चयन हेतु अर्हता :-**

1. शैक्षणिक योग्यता :- सेविका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जाएगी जबकि उसे मानव संसाधन विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो। सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम उत्तीर्ण है आँगनवाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी की प्राथमिकता दी जायगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति-अनु०

